

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुख्य प्रशासनिक भवन, सैक्टर-6, नौएडा

प्रेस विज्ञप्ति

एन0सी0आर0 क्षेत्र की वायु गुणवत्ता कुप्रभावित होने से रोकने हेतु ई0पी0सी0ए0 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 04.11.2019 को नौएडा प्राधिकरण में वर्क सर्किल-1 से 10 के अन्तर्गत जोनल रोड नं0-3, 8, उद्योग मार्ग, सैक्टर-1, 18, 19, 27, 16ए फिल्म सिटी, सैक्टर-71-72 क्रॉसिंग से डी0एस0सी0 रोड, सिटी सेन्टर मेट्रो स्टेशन सैक्टर-39, 49, 50, 63, 63, एफ0एन0जी0 रोड, लेबर चौक से एन0एच0-24, सैक्टर-62, 63, 69, गढ़ी गोलचक्कर, सैक्टर-64, 65, सैक्टर-52, 53, 61, एम0पी0-2, एम0पी0-3, सैक्टर-24, 35, 33ए, 66, 71, 58, 59, एम0पी0-3 रोड, बिसरख रोड, सैक्टर-71, 74, 76, 77, 112, 117, 122, 145, 148, 150, 152, 159 के मुख्य एवं आन्तरिक मार्गों पर कुल 61 टैंकरों के माध्यम से लगभग 105.43 किमी0 लम्बाई में पानी का छिड़काव किया गया। खुले में निर्माण सामग्री रखने एवं निर्माण कार्य करते हुये प्रदूषण सम्बंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर धनराशि रुपये 1,25,000/- (रुपये एक लाख, पच्चीस हजार) की पेनल्टी अधिरोपित की गई है। जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा कुल 42 मार्गों पर लगभग 160.00 किमी0 लम्बाई में मैकेनिकल मशीनों के माध्यम से सड़कों की सफाई करायी गई। ई0पी0सी0ए0 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में समस्त निर्माण सम्बंधी कार्यों पर तत्काल रोक लगा दी गई है तथा उल्लंघनकर्ताओं पर निरन्तर पेनल्टी अधिरोपित की जा रही है।